

नेशनल ई-वधिन एप्लीकेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य वधिनसभा में केंद्र प्रायोजित योजना '[राष्ट्रीय ई-वधिन एप्लीकेशन](#)' (NEVA) के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी।

मुख्य बढि:

- [डजिटल इंडिया पहल](#) के तहत, भारत सरकार ने देश की सभी वधिनसभाओं को कागज़ रहति प्रारूप में परविरतति करने और उन्हें एक मंच पर एकीकृत करने के लयि केंद्र प्रायोजित 'नेशनल ई-वधिन एप्लीकेशन' योजना शुरू की है।
 - योजना क्रयान्वयन लागत का 60% हसिसा भारत सरकार और 40% हसिसा राज्य सरकार द्वारा वहन कयिा जाएगा।
- [वमिक्त, घुमककड एवं अरदधघुमककड जनजात कलयाण वधिन](#) के अंतरगत संचालति छात्रावासों, आश्रमों एवं सामुदायिक कलयाण केंद्रों में नविसरत वदियार्थियों को [अनुसूचति जात कलयाण/जनजातीय कार्य वधिन](#) द्वारा नरिधारति छात्रवृत्तियों के अनुसार युक्तकिरण।
 - लडकों के लयि वर्तमान मासकि छात्रवृत्ति 1230 रुपए से बढाकर 1550 रुपए तथा लडकियों के लयि 1270 रुपए से बढाकर 1590 रुपए प्रर्ता माह की जाएगी।
- मंत्रपरिषद ने [नरमदा घाटी वकिस वधिन](#) की 9,271.96 करोड रुपए की लागत की सात परयोजनाओं के लयि नवदिारि आमंत्रति करने की स्वीकृति दी।

डजिटल इंडिया कार्यक्रम

- भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत को डजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारति अर्थव्यवस्था के रूप में परविरतति करने के उद्देश्य से डजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू कयिा था।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में डजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, डजिटल सेवाएँ प्रदान करना और डजिटल वत्तितीय समावेशन को बढावा देना शामिल है।

वमिक्त, घुमककड एवं अरदधघुमककड जनजात (De-Notified, Nomadic And Semi-Nomadic Tribes)

- ये वे समुदाय हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर और वंचति हैं।
- DNT वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान [आपराधिक जनजात अधनियम, 1871](#) से शुरू होने वाले कई कानूनों के तहत '[जनजात अपराधी](#)' के रूप में '[अधसूचति](#)' कयिा गया था।
 - इन अधनियमों को स्वतंत्र भारतीय सरकार ने वर्ष 1952 में नरिसूत कर दयिा था और इन समुदायों को "वमिक्त" कर दयिा गया था।
- इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें वमिक्त के रूप में सूचीबद्ध कयिा गया था, वे घुमककड भी थे।
 - घुमककड एवं अरदधघुमककड समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिषति कयिा जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
- ऐतिहासकि रूप से घुमककड जनजातियों और वमिक्त जनजातियों के पास कभी भी नजिी भूमयिा घर के स्वामतिव तक पहुँच नहीं थी।
- जबकि अधकिंश DNT [अनुसूचति जात \(SC\)](#), [अनुसूचति जनजात \(ST\)](#) और [अनय पछिडा वरग \(OBC\)](#) श्रेणियों में फ़ैले हुए हैं, कुछ DNT कसिी भी SC, ST या OBC श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

